

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 04 / 2020(GCMS : 2020/)

1. Swati Devi Wife of Sh. Pawan Kumar Baghla Prop. of Balaji Brick Klin, Chak 1 SGM, Bhawwansar AND Baghla 7/11 Station Road. Suratgarh Distt. Sri Ganganagar(Rajasthan)

बनाम

1. Project Directo –cum – S.E.(N.H.), Bikaner Circle, PWD office, Bikaner
 2. Ministry of Road Transport and Highways, through project Director-cum-S.E. (N.H.), Bikaner Circle, PWD Office, Bikaner
 3. CALA –cum-Additional District Magistrate, Suratgarh
- 18.09.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2020 को सक्षम प्राधिकारी (एन.एच.) एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 12.09.2018 से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रकरण प्रस्तुत किया था। अब प्रार्थी स्वाती देवी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वे इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं इसी स्तर पर उनके प्रकरण को खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी स्वाती देवी ने अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरुद्ध दिनांक 12.10.2020 को एक प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कुछ कमियों के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रार्थी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। प्रकरण कमियों की पूर्ति करने एवं क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी आगे चलाना नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ओ.पी. मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर